

FORM - III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी [राजस्व], श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

कुलवन्त सिंह आदि बनाम राजस्थान सरकार
अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए नम्बर 16 सन् 2023
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2023/419

तामिल हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
18.10.2023	प्रार्थीगण कुलवन्त सिंह पुत्र हरनेक सिंह जाति जटसिख निवासी चक 6वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर आदि के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। हस्तगत प्रकरण में रास्ता के संबध में रिपोर्ट तहसीलदार हेतु पत्र लिखा जावे। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 22.11.2023 को पेश हो।	
२२/११/२३	प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। रिपोर्ट TOR KPR प्राप्त हुई। संश्लेष पत्रावली वास्ते इन्तजार रिपोर्ट दिनांक 13/12/23 को पेश हो।	
१२/१३/२३	अधिवक्तागण उपस्थित श्री मान PO महोदय चुनाव कार्य में व्यस्त है पत्रावली दिनांक २९/१५ को पेश हो	
२९/१५/२४	वकील फरीकन उपस्थित श्रीमान् PO साहब अन्य कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली दिनांक ०५/१२/२४ को पेश हो। TOR KPR से रिपोर्ट उपर	
०५/१२/२४	अधिवक्तागण उपस्थित व हम हेतु रास्ता पत्रावली वास्ते व हम दिनांक २६/०२/२४ को पेश हो।	
२६/१५/२४	वकील फरीकन उपस्थित श्रीमान् PO साहब अन्य कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली दिनांक ३१/१२/२४ को पेश हो।	
०५/१५/२४	आज यह पत्रावली प्रार्थीगण अधिवक्ता के द्वारा प्राथना पत्र पेश करने पर पेशी में ली गयी प्राथना पत्र में निवेदन किया कि प्रार्थीगण अब उक्त जनवान	



कुलवन्त सिंह
अज अदालत

प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। इसलिए पत्रावली आज पेशी में ली जाकर Not Press में दाखिल दफ्तर की जावे।

प्राचीणिण अधिवक्ता को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्राचीणिण द्वारा प्राचीणि पत्र अन्तर्गत धारा 251(A) RTA नोटिफिकेशन करने पर प्रकरण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली निष्पत्ति होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर